न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00060

1. बरजी बाई आयु 80 वर्ष बेवा स्व0 श्री श्रीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रानीपुरा (देवा का झौंपडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मनभर बाई आयु 60 वर्ष पुत्री स्व0 श्री श्रीराम हाल पत्नी शंकर जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. ग्यारसी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्रीराम हाल पत्नी पोखर जाति बैरवा निवासी ग्राम रूघनाथपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. संतरा आुय 52 वर्ष पुत्री श्री श्रीराम हाल पत्नी श्री रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम तार का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. नटी आयु 48 वर्ष पुत्री श्री श्रीराम हाल पत्नी मोरपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भजनेरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. सत्यनारायण आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 श्री श्रीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रानीपुरा (देवा का झौंपडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. घासी आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 श्री श्रीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रानीपुरा (देवा का झौंपडा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 1968 का प्रस्तुत कर कथन किया कि श्रीराम आत्मज मन्ना जाति बैरवा निवासी रानीपुरा को ग्राम रानीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1850/44 की रकबा 03 बीघा दिनांक 12.10.1977 को आवंटित की गई थी । आवंटी का आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2016 के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी केसरा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1977 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 43 वर्ष बाद मात्र कयास के आधार पर आवंटन को निरस्त करने में त्रुटि की है । आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है । आवंटी श्रीराम की मृत्यु हो चुकी है और बिना मृत्यु रिपोर्ट मंगवाये मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण मुआवजा लेने हेतु पटवारी के पासे गये और तलाश किया तो बताया गया कि अपीलान्टगण का आवंटन खारिज हो गया है जिस पर दिनांक 28.01.2020 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 06.02.2020 को उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम, 1968 के तहत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के समक्ष पेश किया और कथन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । आवंटन की शर्तो की पालना नहीं हुई है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे । आवंटन सन् 1977 में हुआ था जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । आवंटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर का है । उपखण्ड अधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं है । 43 वर्ष के बाद कयास के आधार पर आवंटन खारिज किया है । खातेदारी अधिकार प्रदान करना राजस्व अधिकारियों का उत्तरदायित्व था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । जिला कलक्टर को धारा 17 (ए) के तहत जो शक्तियॉ निरस्त करने की प्रदान की गई हैं वो राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.20216 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम, 1968 के तहत छल से, मिथ्या कथन से आवंटन कराने या निमयों के विरूद्ध आवंटन किये जाने अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में जिला कलक्टर को आवंटन निरस्त करने की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं और राज्य सरकार उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.11.2000 के अनुसार इन नियमों के तहत जिला कलकटर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बून्दी को अधिकृत किया था और इसके उपरान्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2000 के अनुसार सहायक कलक्टर हिण्डोली की शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को दी गई । इस प्रकार 1968 के नियमों के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर का है जो उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सहायक कलक्टर एवं बाद में उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योयाजित (delegate) की गई है । ऐसी स्थिति में शक्तियों के प्रत्योयाजन (delegation of power) के फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश जिला कलक्टर के द्वारा पारित किया गया आदेश माना जावेगा जिसकी अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होकर संभागीय आयुक्त महोदय को है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलान्ट को लौटाई जाती है ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा